न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कु[illegible]
आई.ए.[illegible]

अपील संख्याः–208/2022

संजीव कुमार पुत्र स्व0 गंगाराम आयु साल जाति नाई नि0 किसान कॉलेनी कस्बा झुंझुनूँ उचित मूल्य दुकानदार झुंझुनूँ पोस कोड नं0 20283 तहसील झुंझुनूँ ।

– अपीला[illegible]

बनाम

जिला रसद अधिकारी झुझुनू जिला झुंझुनूं।

–रेस्पोडेन्ट

– – –

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 24.11.2022 द्वारा जिला रसद अधिकारी झुंझुनं बाबत् खारिज करने प्राधिकार पत्र संख्या 1065/2005 प्रकरण संख्या 90/2022

– – –

उपस्थित : –

1. श्री उम्मेदराज सैनी, रविराज सैनी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री विकास कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक, विभागीय प्रतिनिधि – रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांकः– 11.01.2023

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं द्वारा दिनांक 24.11.2022 को आदेश पारित कर उचित मूल्य की दुकानदारी हेतु जारी किए गए अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र संख्या 1065/2005 को खारिज करने में कानूनी भूल की है। जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं ने राजस्थान खाद्यान व अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग कर उचित मूल्य दुकानदार अपीलान्ट की उचित मूल्य की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रूपये जब्त राज की जाकर प्राधिकार पत्र संख्या 1065/2005 को निरस्त करने का आदेश विरूद्व कानून व पत्रावली है।प्रवर्तन निरीक्षक झुंझुनूं ने दिनांक 28.09.2022 को अपीलान्ट की उचित मूल्य का निरीक्षण करना बताया है उसमें गलत आरोप लगाए है क्योंकि अपीलांट की अक्टूम्बर माह के लिए रेगूलर गेहूँ 6731 कि0ग्रा0 एवं सितम्बर अतिरिक्त गेहूं 5264 कि0ग्रा0 की आपूर्ति दुकान पर कर दी गई है जो पोस मशीन में दर्ज नही पाई गई तथा पोस में दर्ज + अगले माह पेटे आपूर्ति की गई मात्रा 12220 कि0ग्रा0 के विरूद्व 7500 कि0ग्रा0 गेहूं ही पाया गया। इस प्रकार रिकार्ड में दर्ज मात्रा से 4720 कि0ग्रा0 एन0एफ0एफ0ए0 गेहूं की मात्रा कम पाई गई है। अपीलान्ट की दुकानदारी में 4720 कि0ग्रा0 की कोई कमी नही थी। वह गेहूं अपीलान्ट की दुकान गोदाम सटकर है इसके स्वयं के घर के कमरे मे पड़ा था जिस बाबत अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को लिखित में दिनांक 24.05.2021 को आवेदन पेश कर सूचित कर रखा था कि उसकी गोदाम दुकान छोटी है और अतिरिक्ति गेहूँ आ जाने से वह [illegible] के [illegible] में [illegible] [illegible]रवा देता है। 2021 मई–जून माह में भी अतिरिक्त गेहूँ आए तब सूचना लिखित में [illegible] [illegible]सकी प्राप्ति दिनांक 24.05.2021 है। इसलिए सितंबर माह 2022 में भी अतिरि[illegible] [illegible] [illegible]0ग्रा0 गेहूँ दुकान के पास ही कमरे में डाल रखे थे किन्तु उनका निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक ने न[illegible] किया और गलत जांच [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.13 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

के आधार पर बिना जांच किए ही अनियमितता मानकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र खारिज किया है। अपीलान्ट के जीजाजी का दहांत दिनांक 10.09.2022 को हो गया था जिससे अपीलान्ट दिनांक 10.09.2022 को लूणकरणसर चला गया था और अपीलान्ट 28/09/2022 को वापिस अपने घर आया था और पीछे से गेहूं कमरे में अपीलांट के भान्जे ने भण्डारण करवा रखा था और उसका मुआयना नही किया गया। अपीलान्ट की दुकानदारी व वितरण में कोई अनियमितता नही है क्योंकि जो गेहूँ आया वह अक्टूम्बर माह के वितरण हेतु था जो उसके पास मौजूद था किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही है। रिकार्ड सारा ऑन लाईन रहता है तथा जैसा कि वर्णित है कि अपीलान्ट अपने जीजाजी के स्वर्गवास हो जाने के कारण मजबूरन बाहर था तथा वितरण सारा हो चुका था।जिला रसद अधिकारी को अपीलान्ट के प्रस्तुत जवाब पर गौर करना चाहिए था किंतु न तो जांच की तथा ना ही साक्ष्य सफाई का मौका दिया और वेग आधारो पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र खारिज कर दिया। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट का आदेश 24.11.2022 को खारिज कर अपीलान्ट का खारिज प्राधिकार पत्र संख्या 1065/2005 को पुनः बहाल किए जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं ने राजस्थान खाद्यान व अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग कर उचित मूल्य दुकानदार अपीलान्ट की उचित मूल्य की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रूपये जब्त राज की जाकर प्राधिकार पत्र संख्या 1065/2005 को निरस्त करने का आदेश विरूद्व कानून व पत्रावली है।प्रवर्तन निरीक्षक झुंझुनूं ने दिनांक 28.09.2022 को अपीलान्ट की उचित मूल्य का निरीक्षण करना बताया है उसमें गलत आरोप लगाए है क्योंकि अपीलांट की अक्टूम्बर माह के लिए रेगूलर गेहूँ 6731 कि0ग्रा0 एवं सितम्बर अतिरिक्त गेहूं 5264 कि0ग्रा0 की आपूर्ति दुकान पर कर दी गई है जो पोस मशीन में दर्ज नही पाई गई तथा पोस में दर्ज + अगले माह पेटे आपूर्ति की गई मात्रा 12220 कि0ग्रा0 के विरूद्व 7500 कि0ग्रा0 गेहूं ही पाया गया। इस प्रकार रिकार्ड में दर्ज मात्रा से 4720 कि0ग्रा0 एन0एफ0एफ0ए0 गेहूं की मात्रा कम पाई गई है। अपीलान्ट की दुकानदारी में 4720 कि0ग्रा0 की कोई कमी नही थी। वह गेहूं अपीलान्ट की दुकान गोदाम सटकर ही इसके स्वयं के घर के कमरे मे पड़ा था जिस बाबत अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी, झुंझुंनूं को लिखित में दिनांक 24.05.2021 को आवेदन पेश कर सूचित कर रखा था कि उसकी गोदाम दुकान छोटी है और अतिरिक्ति गेहूं आ जाने से वह घर के कमरे में भी गेहूं को उतरवा देता है। 2021 मई–जून माह में भी अतिरिक्त गेहूं आए तब सूचना लिखित में की थी जिसकी प्राप्ति दिनांक 24.05.2021 है। इसलिए सितंबर माह 2022 में भी अतिरिक्त गेहुं आने पर 4750 कि0ग्रा0 गेहूं दुकान के पास ही कमरे में डाल रखे थे किन्तु उनका निरीक्षण प्रवर्तन निरीक्षक ने नही किया और गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर बिना जांच किए ही अनियमितता मानकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र खारिज किया है। अपीलान्ट के जीजाजी का देहांत दिनांक 10.09.2022 को हो गया था जिससे अपीलान्ट दिनांक 10.09.2022 को लूणकरणसर चला गया था और अपीलान्ट 28/09/2022 को वापिस अपने घर आया था और पीछे से गेहूं कमरे में अपीलांट के भान्जे ने भण्डारण करवा रखा था और उसका मुआयना नही किया गया। अपीलान्ट की दुकानदारी व वितरण में कोई अनियमितता नही है क्योंकि जो गेहूँ आया वह अक्टूम्बर माह के वितरण हेतु था जो उसके पास मौजूद था किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नही रही है। रिकार्ड सारा ऑन लाईन रहता है तथा जैसा कि वर्णित है कि अपीलान्ट अपने जीजाजी के स्वर्गवास हो जाने के कारण मजबूरन बाहर था तथा वितरण सारा हो चुका था।जिला रसद अधिकारी को अपीलान्ट के प्रस्तुत जवाब पर गौर करना चाहिए था किंतु न तो जांच की तथा ना ही साक्ष्य सफाई का मौका दिया और वेग आधारो पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.13 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested

खारिज कर दिया। जप्तशुदा गेहूं अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त चार्ज वाले डीलर श्री अकराम कुरेशी को सौंपा जा चुका है एवं उसके द्वारा उक्त गेहूं का वितरण भी कर दिया गया है। अपीलान्ट ने कोई गबन नही किया है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर रेस्पोडेन्ट का आदेश 24.11.2022 को खारिज कर अपीलान्ट का खारिज प्राधिकार पत्र संख्या 1065/2005 को पुनः बहाल किए जाने का आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस के दौरान वकील विभागीय प्रतिनिधि वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 28.09.2022 को वरवक्त निरीक्षण अपीलान्ट स्वयं उपस्थित था। अपीलान्ट का यह गहना गलत है कि वह दूसरे गांव गया हुआ था। जांच के दौरान व स्टॉक स्थानान्तरण के समय स्टॉक का दो बार सत्यापन हुआ है। जहां तक जप्तशुदा गेहूं अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त चार्ज वाले डीलर श्री अकराम कुरेशी को सौंपा जा जाकर उक्त गेहूं का वितरण का बिन्दू है तो इसकी लिखित सूचना रेस्पोडेन्ट को नही है। अपीलान्ट अधिकृत स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर राशन सामग्री नही रख सकता है। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1065/2005 बाद जांच एवं कार्यवाही के नियमानुसार खारीज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट वरवक्त निरीक्षण स्वयं मौके पर उपस्थित था। जांच के दौरान व स्टॉक स्थानान्तरण के समय स्टॉक का दो बार सत्यापन हुआ है। जहां तक जप्तशुदा गेहूं अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त चार्ज वाले डीलर श्री अकराम कुरेशी को सौंपा जा जाकर उक्त गेहूं का वितरण का बिन्दू है तो इसकी लिखित सूचना अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को नही दी है। नियमानुसार अपीलान्ट अधिकृत स्थान के अलावा दूसरे स्थान पर राशन सामग्री नही रख सकता है। ऐसी स्थिति मे हम यह उचित मानते है कि अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार की गई है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अीलान्ट खारीज की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 24.11.2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.13 16:10:46 IST
Reason: SelfAttested